6.9.24	पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थी उप०, वकील प्रार्थी का प्रा० पत्र 06 R.17 व धारा 151 जा.दी० स्वीकार किया जाता है तहसीलदार माण्डल से मौका रिपोर्ट पर बहस सुनी गयी। प्रार्थी का प्रा०पत्र 251-A R.T.A स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय अलग से तैयार कर शा०प० किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, माण्डल जिला भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी–मनोज , आर0ए0एस0
प्रकरण संख्या – प्रार्थना पत्र 186/2022

<u>अनवान प्रकरण</u>

1–शिवलाल पिता नानू गुर्जर निवासी हिसनिया तहसील माण्डल
2–सुगनी पत्नि स्व0 नानू गुर्जर निवासी हिनिया तहसील माण्डल
3–हेमा पिता गोकल गुर्जर निवासी हिसनिया तहसील माण्डल ––––प्रार्थीगण

वनाम

1–देवा पिता रामा गुर्जर निवासी हिसनिया तहसील माण्डल
2–नारायण पिता रामा गुर्जर निवासी हिसनिया तहसील माण्डल
3–हीरा पिता रामा गुर्जर निवासी हिसनिया तहसील माण्डल
4–हंजा पत्नि रामा गुर्जर निवासी हिसनिया तहसील माण्डल
5–राजस्थान राज्य ज़रिये तहसीलदार साहब माण्डल जिला भीलवाड़ा
(प्रार्थना पत्र बाबत– रास्ता कायमी हेतु अन्तर्गत धारा 251–ए राज0काश्त0अधिनियम)

––––0––––

उपस्थितः– वकील प्रार्थीया – श्री शरद कुमार पालीवाल

––––0––––

दिनांक 06.09.2024

<u>आदेश</u>

प्रार्थीगण के द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि–

1–यह कि प्रार्थीगण के संयुक्त स्वामित्व की ग्राम हिसनिया पटवार हल्का हिसनिया तहसील माण्डल में आराजी नम्बर 1877 रकबा 0.2023 हैक्टर अन्य आराजीयात के साथ नकल जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 के खाता संख्या 346 में दर्ज है। जिसमें बुआई हेतु ट्रेक्टर, संज बैल व पैदल आने जाने हेतु एवं फसल काश्त करने एवं अवेरने हेतु रिकॉर्डेड रास्ता से होते हुये स्वयं की आ0नं0 1870 एवं 1879से होते हुए अप्रार्थीगण की आराजी नम्बर 1878 की उत्तरी दिशा की मेड़ पर 12 फीट चौड़ाई के रास्ते होकर अपनी आराजीयात में आते जाते हैं । आ0नं0 1878 रकबा 0.2276 हैक्टर अप्रार्थी संख्या 01 से 05 के नाम पर संयुक्त खातेदारी से दर्ज है । उपरोक्त आराजीयात में से प्रार्थीगण को 12 फीट चौड़ाई के रास्ते की आवश्यकता है जो अत्यन्त आवश्यक है। प्रार्थीगण के खेतों पर जाने का अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौके पर मौजूद नहीं है इसलिये हम प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार फरमाया जाकर हम प्रार्थीगण की खातेदारी की आ0नं0 1877 में आवागमन हेतु विपक्षी संख्या 01 लगायत 04 की आराजी नम्बर 1878 में से प्रार्थनापत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे में पीले रंग से दर्शाये अनुसार 12 फीट चौड़ाई के रास्ते को रास्ते के रूप में अलग से खाते में कायम करने व नक्शे में तरमीम की स्वीकृति प्रदान करने हेतु यह प्रार्थनापत्र 251–ए राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 के तहत प्रस्तुत है। प्रार्थना पत्र

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

स्वीकार फरमावें । इस हेतु प्रार्थीगण सरकार द्वारा निर्धारित मुआवजे की राशि का भुगतान करने के लिए तैयार एवं तत्पर है।

2—यह कि प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दिनांक 12.08.2022 को दर्ज रजिस्टर करते हुए अप्रार्थीगण को सुनवाई हेतु नोटिस दिनांक 09.09.2022 के जारी किए गए। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 04 की ओर से अधिवक्ता हाजिर आए जिन्होंने दिनांक 15.03.2024 को हिदायतपैरवी नहीं होना जाहिर किया। इस पर अप्रार्थीगण को अवाज लगाने पर कोई हाजिर नहीं आने से इनके खिलाफ एक तरफा कार्यवाही की गई। इस पर तहसीलदार माण्डल से मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई।

3—यह कि रास्ते बावत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया जिस परं तहसीलदार माण्डल से मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई। तहसीलदार माण्डल के पत्रांक/राजस्व/2024/1089 दिनांक 08.02.2024 से मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसे शामिल पत्रावली किया गया। तहसीलदार माण्डल से प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार ग्राम हिसनिया की आ0नं0 1877 रकबा 0.2023 हैक्टर भूमि वर्तमान में प्रार्थीगण के नाम संयुक्त खातेदारी से दर्ज रिकॉर्ड है। जिसमें पहुंच हेतु रास्ता बना हुआ नहीं है। जिस आराजी में से रास्ता प्रस्तावित किया है वह अप्रार्थीगण के नाम दर्ज होकर मौके पर रास्ता बन्द कर रखा है। वर्तमान में प्रार्थीगण को अपनी आराजी में कही से भी आना जाना नहीं होने से भूमि /खेत 1.5 वर्ष से मौके पर पड़त है। आराजी पर पहुंच हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। अप्रार्थीगण की आराजी नम्बर 1884 रकवा 0.3162 हैक्टर में से 0.0200 है0 भूमि रास्ते हेतु प्रस्तावित की जिसे नक्शे में लाल स्याही से दर्शाया गया है। प्रस्तावित भूमि की कीमत डीएलसी 515058.00 रू0 प्रति हैक्टर से प्रस्तावित रकबा 0.0200 हैक्टर की दुगुनी राशि 10301.00 रू0 बनती है। जो कि पटवारी रिपोर्ट में अंकित है।

4—यह कि प्रार्थीगण की आराजी नम्बर 1877 पर पहुंच हेतु प्रस्तावित रास्ता आराजी नम्बर 1884 रकबा 0.3162 हैक्टर में से 0.0200 है0 भूमि रास्ते हेतु प्रस्तावित है। जिसे रिपोर्ट के साथ संलग्न नजरी नक्शे में लालस्याही से दर्शाये अनुसार रास्ता दिए जाने में अप्रार्थीगण असहमत है। रिपोर्ट में रास्ते हेतु प्रस्तावित रकबा की कुल 10301.00 रूपये अंकित है। जो कि डीएलसी 515058/—रू0 प्रति हैक्टर से 0.0200 हैक्टर की दुगुनी राशि है। इस बाबत वकील प्रार्थीगण के द्वारा धारा 151 जा0दी0 का प्रार्थनापत्र संशोधन हेतु प्रस्तुत किया जो स्वीकार किया जाकर आराजी नम्बर 1884 में से रास्ता स्वीकृति हेतु स्वीकार किया जाता है।

5—तहसीलदार माण्डल से प्राप्त रिपोर्ट पर वकील प्रार्थीगणं की बहस सुनी गई। वहस में निवेदन किया तहसीलदार माण्डल के द्वारा रिपोर्ट के साथ संलग्न नजरी नक्शे में दर्शाये अनुसार रास्ता कीमतन स्वीकृत किए जाने पर असहमति प्रदान की है परन्तु कृषक को अपनी जोत पर पहुंच हेतु रास्ता दिए जाने के प्रावधान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251—ए में दिए गए हैं। अप्रार्थीगण के द्वारा न्यायालय में सूचना के बावजूद खण्डन लिखित या मौखिक रूप से प्रस्तुत नहीं किया है। नियमो में अंकित है कि एक खातेदार को अपनी आराजी पर पहुंच हेतु रास्ता उपलब्ध नहीं हो, आत्यन्तिक आवश्यकता हो एवं लघुत्तम रास्ता स्वीकृत किया जा सकता है । प्रस्तुत प्रकरण अनुसार प्रार्थीगण को अपनी जोत पर पहुंच हेतु रास्ते की आत्यन्तिक आवश्यकता होने तथा वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं होने

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

एवं रास्ते हेतु प्रस्तावित रकबे की कीमत अदा करने को तैयार होने से प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 251—ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किए जाने योग्य प्रतीत होता है। अतएव—

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र स्वीकार करते हुए ग्राम हिसनिया पटवारी हल्का हिसनिया भू अभिलेख निरीक्षक आलमास की आराजी नम्बर 1877 रकबा 0.2023 हैक्टर पर पहुंच हेतु आराजी नम्बर 1884 रकबा 0.3162 हैक्टर में से 0.0200 हैक्टर भूमि रास्ते हेतु तहसीलदार मांडल की रिपोर्ट के साथ संलग्न नजरी नक्शे में लाल स्याही से दर्शाये अनुसार रास्ता कायम किया जावे। इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड एवं नक्शे में इन्द्राज किया जावे। प्रार्थीगण उक्त रास्ते की भूमि की राशि 10301.00 रू0 राजकोष में जमा करादेवे तभी यह आदेश प्रभावी होगा।

आदेश आज दिनांक 06.09.2024 को तैयार करा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा